अध्याय 3

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा निगम मामला मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन (मार्च 2015) पर कम्पनी नियमावली 2014 में निदेशकों की नियुक्ति ओर योग्यता (जनवरी 2015), निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां (मार्च 2015) और लेखे (अक्तूबर 2014) को भी अधिसूचित किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। अन्य बातों के साथ साथ आवश्यकता निम्नलिखित प्रदान करती हैः-

- व्यवसायिक आचरण (धारा 149 (8) और उसकी अनुसूची IV) के लिए कर्त्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कतिपय समितियों जैसे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और क्षतिपूर्ति समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। {धारा 173(1)}.

3.1.1 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ, सेबी ने सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

3.1.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर कार्यालयी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर मई 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जेसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई 2010 में जारी डीपीई दिशार्निदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसईज़ का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.3 चयनित सीपीएसईज़ द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2015 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 570 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) थे। सीपीएसईज़ को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज़ से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से सेबी (अप्रैल और सितम्बर 2014) द्वारा जारी दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी। निर्धारण रूपरेखा

में बोर्ड के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तें निहित हैं।

समीक्षा में निर्धारण रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन को कवर किया गया है। समीक्षा में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 49 सूचीबद्ध सीपीएसईज़ कवर की गई है। सीपीएसईज़ की सूची ***परिशिष्ट - VI*** में दी गई है। समीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत है।

3.2 निदेशक मण्डल

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-कार्रकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये। तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे।

तालिका 3.1: सीपीएसईज़ में गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या

क्रम. सं.	पीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	6	2	33
2	बॉमेर लारी एंण्ड कम्पनी लिमिटेड	7	2	29
3	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	5	42
4	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	10	4	40
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	4	44
6	कोल इंडिया लिमिटेड	7	2	29
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	10	4	40
8	फर्टिलाइज़र एण्ड केमिक्लस ट्रावनकोर लिमिटेड	6	2	33
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6	1	17
10	इंडियन आलयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	4	40
11	नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड	10	4	40
12	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	2	25
13	एनएमडीसी लिमिटेड	11	3	27

14	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	3	33
15	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	1	25
16	एसजेवीएन लिमिटेड	6	2	33
17	दी शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	8	2	25
18	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	11	4	36

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हो, शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ए) (2) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.14 के अनुसार जहाँ बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहाँ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी) (1) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामिति निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

3.2.2.1 निदेशक बोर्ड के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नही थीः

तालिका 3.2: सीपीएसईज़ जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	जोड	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
1	बीईएमएल लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	3
2	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
3	भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	2
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	2
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	गैर-कार्यकारी	4	1
6	कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
8	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
9	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड	6	गैर-कार्यकारी	2	1
10	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
11	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
12	इंडिया टूरिज़्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
13	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
14	आईटीआई लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	जोड	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
15	केआईओसीएल लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
16	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	1
17	एमएमटीसी लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
18	एमओआईएल लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	4
19	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	2
20	नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
21	एनएचपीसी लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
22	एनटीपीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	2
23	ऑयल इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
24	ओएनजीसी लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	1
25	पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	3
26	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
27	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
28	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	2
29	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	2

3.2.2.2 तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसईज़ के संबंध में बोर्ड पर कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसईज जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड
2	बॉमर लारी एडं कं.लिमिटेड
3	बॉमर लारी इन्वेसटमेंट लिमिटेड
4	कोल इंडिया लिमिटेड
5	फट्रिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड
6	गेल (इंडिया) लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
8	एचएमटी लिमिटेड
9	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड
10	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
11	नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	एसजेवीएन लिमिटेड
15	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
16	दी शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

3.2.2.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का औपचारिक पत्र

सूचीगत करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) में प्रावधान किया गया है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि अधिकतर सूचीबद्ध सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और सीपीएसईज़ द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों में निबंधन और शर्तों का कोई विवरण नहीं था, जैसा तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: सीपीएसईज़ जहां कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
3	एमएमटीसी लिमिटेड

3.2.2.4 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

खण्ड 49 (II) (बी) (7) (ए) एण्ड (बी) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान कराएगी ताकि वह कम्पनी, उनकी भूमिका, अधिकारो, कम्पनी में उत्तरदायित्व, उद्योग की प्रकृति जिसमें कम्पनी परिचालित करती है, कम्पनी के व्यवसायिक माडल इत्यादि को जान सकें। इसके अतिरिक्त, कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे प्रशिक्षण के विवरण की भी उदघोषणा करेगी। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में सूचीबद्ध निम्नलिखित सीपीएसईज़ में स्वतंत्र निदेशकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

तालिका 3.5: सीपीएसईज़ जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	केआईओसीएल लिमिटेड
6	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
7	एमएमटीसी लिमिटेड
8	नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड

खण्ड 49 (II) (बी) (7), के संशोधन के विपरीत सीपीएसईज़ की वार्षिक रिपोर्ट में उसका वेब लिंक और प्रशिक्षण का विवरण वेबसाईट पर उदघोषित नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: सीपीएसईज़ जहां वेबसाइट पर कोई प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड
5	दी शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
6	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

3.2.3 नामित निदेशक

डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010) के पैरा 3.1.3 के अनुसार, सरकार/अन्य सीपीएसईज द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी। तथापि, यह देखा गया था कि तालिका 3.7 में दर्शायी गई दो सीपीएसईज में बोर्ड में नामित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक हो गई थी।

तालिका 3.7: सीपीएसईज जहाँ नामित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक हो गई है

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	नामित निदेशकों की संख्या
1	मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	3
2	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड	3

3.2.4 निदेशक बोर्ड की बैठकें

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(I) तथा सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (II) (डी) (I) में आवश्यक है कि बोर्ड किन्ही दो बैठकों के बीच 120 दिनों के अधिकतम समय अन्तराल के साथ वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगा। तथापि, यह देखा गया था कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने 2014-15 के दौरान केवल तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की थी।

3.2.5 निदेशकों के पदों पर भर्ती - कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

निदेशक के रिक्त पदों को समय पर भरना कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों को भरने में कोई विलम्ब निर्णय

लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II) (डी) (4) में अनुबंध किया जाता है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग पत्र अथवा पदच्युति से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द इसके तुरन्त बाद अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, भरा जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि तीन महीने बीत जाने के बावजूद स्वतंत्र निदेशकों के पदों को नही भरा गया था (31 मार्च 2015 तक)। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि तालिका 3.8 में दी गई सीपीएसईज में छह महीने बीत जाने के बावजूद भी कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियाँ भी नहीं भरी गई थी जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) के तहत यथा अपेक्षित है।

तालिका 3.8: सीएसईज जहाँ कार्यकारी एवं स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियाँ समय पर नहीं भरी गई थीं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	माह में चूक
1	बामर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	19
2	बीईएमएल लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	14
3	भारत इलेक्ट्रोनिकस लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	24
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	निदेशक (ई,आर एण्ड डी)	13
		स्वतन्त्र निदेशक	10
5	कोल इण्डिया लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	4
6	ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	48
7	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	60
		निदेशक (प्रचालन)	8
		स्वतन्त्र निदेशक	60
8	केआईओसीएल लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	5 से 19
9	एमएमटीसी लिमिटेड	सीएमडी	47
		कम्पनी सचिव	17
10	एमओआईएल लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	14
11	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	9
12	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	9
13	एनएचपीसी लिमिटेड	सीएमडी	45
14	एनटीपीसी लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	5
15	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	23
16	एसजेवीएन लिमिटेड	स्वतन्त्र निदेशक	22

17	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	20 से 96
		स्वतन्त्र निदेशक	5 से 10
18	दी शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	सीएमडी	7
		निदेशक (टी एण्ड ओएस)	3
		निदेशक (वित्त)	3
		स्वतन्त्र निदेशक	3

3.3 लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीबद्ध करार का खण्ड 49 (III) (ए) में प्रावधान किया जाता है कि न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होगें। तथापि, तालिका 3.9 में यथा वर्णित सीपीएसईज के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.9 सीपीएसई जहाँ कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3	एचएमटी लिमिटेड
4	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति का संयोजन

तालिका 3.10 में यथा वर्णित सीपीएसईज के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.10 सीपीएसईज जहाँ लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नैं पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
5	मैगंलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
6	राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
7	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

खण्ड 49(III) (ए) (3) में प्रावधान किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, यह देखा गया था कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक होने के बावजूद लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

3.3.4 खण्ड 49(III)(ए)(4) में अनुबंध किया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष उपस्थिति होगा। तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध निम्नलिखित सीपीएसईज की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2014-15 के दौरान आयोजित एजीएम में उपस्थिति नहीं थे।

तालिका 3.11: सीपीएसईज जहाँ लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल्स लिमिटेड
2	इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
3	दी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फलोरो कार्बन्स लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मेन्युफैकचरिंग कम्पनी लिमिटेड
7	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
8	दी शिंपिग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

3.3.5 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

खण्ड 49 (III) (बी) में अनुबंध किया जाता है कि वर्ष में कम से कम चार बार लेखापरीक्षा समिति की बैठक होनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच चार महीने से ज्यादा समय नहीं गुजरना चाहिए। कोरम या तो दो सदस्य अथवा लेखापरीक्षा समिति के एक-तिहाई सदस्य होगा, जो भी अधिक हों, परन्तु कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक अवश्य उपस्थित होने चाहिए।

(i) यह देखा गया था कि वर्ष 2014-15 में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड में केवल एक बैठक तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में केवल तीन बैठकें आयोजित की गई थीं।

(ii) आगे यह भी देखा गया था कि बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड के संबंध में दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच अन्तर चार महीने से अधिक था।

(iii) यह भी देखा गया था कि नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के संबंध में एक लेखापरीक्षा समिति बैठक तथा नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकों में दो से कम स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे जो अपेक्षित कोरम से कम था।

3.3.6 खंड 49(III) (ए) (5) निर्धारित करता है कि लेखापरीक्षा समिति यदि वह उचित समझे तो ऐसे कार्यकारियों (और विशेषतः वित्त कार्य के अध्यक्ष) को, तो समिति की बैठकों में आमंत्रित कर उपस्थित होने के लिए कह सकती है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के किसी कार्यकारी के बिना भी बैठक कर सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के एक प्रतिनिधि, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयानुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितों के रूप में विशेषतः आमंत्रित किये जा सकते हैं। तालिका 3.12 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में हालांकि वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था, परंतु वे लेखापरीक्षा समिति की कुछ बैठकों में उपस्थिति नहीं थेः

तालिका 3.12: सीपीएसईज जहाँ वित्तीय निदेशक, आन्तरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा संवैधानिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	अतिथियों ने भाग नहीं लिया	बैठकों की संख्या जिनमें भाग नहीं लिया गया
1	नैशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	आन्तरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि	1
2	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि	2
3	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि	4

3.3.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

खण्ड 49(III) (डी) (13) में अनुबंध किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति को विभाग के अधिकारिक अध्यक्षों की स्टाफिंग एवं वरिष्ठता, रिपोर्टिंग सरंचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज एवं बारम्बारता सहित आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हैं, की पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। दो सीपीएसईज यथा भारत इम्यूनोलोजिकल एण्ड

बायोलोजिकल लिमिटेड तथा दी शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की थी।

3.3.8 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III) (डी) (14) के अनुसार, किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष तथा उस पर आगे की कार्यवाही पर आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना लेखापरीक्षा समिति का भी उत्तरदायित्त्व है। यह देखा गया था कि, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा आयोजित नहीं की थी।

3.3.9 चेतावनी तंत्र

सूचीबद्ध करार का संशोधित खण्ड 49 (II) (एफ) में प्रावधान है कि कम्पनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कम्पनी व्यवहार संहिता अथवा नैतिक नीति के उल्लघंन के बारे में मामलों पर रिर्पोट करने के लिए निदेशक एवं कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी तंत्र स्थापित करेगा। यह देखा गया था कि तालिका 3.13 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.13: सीपीएसईज जहाँ चेतावनी तंत्र नहीं है

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड
2	बीईएमएल लिमिटेड
3	भारत इम्युनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल कारपोरेशन लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	स्कूटर इण्डिया लिमिटेड

खण्ड 49III (डी) 18 में अनुबंध किया जाता है कि यदि कम्पनी में चेतावनी तंत्र विद्यमान है तो लेखापरीक्षा समिति इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करे। नीचे तालिका 3.14 में वर्णित सीपीएसईज में, यद्यपि चेतावनी तंत्र विद्यमान था, फिर भी लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की थी।

तालिका 3.14: सीपीएसईज जहाँ चेतावनी तंत्र है परन्तु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.10 सीएजी के पूरक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

वैधानिक अधिदेश के अनुसार सभी सीपीएसईज भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत करती है। लेखापरीक्षा समिति की निष्कर्षों की समीक्षा तथा अनुवर्ती कार्यवाही की भी जाँच करने की जिम्मेदारी है। स्टील अॅथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने पूरक लेखापरीक्षा के तहत जारी किये गए प्रबन्धन पत्र की समीक्षा नहीं की है।

3.3.11 वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

खंड 49 (III) (डी) (16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीखा प्रवृत्ति तथा कार्यक्षेत्र के साथ-साथ किसी चिंतनीय विषय पर पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा की जानी चाहिए। तालिका 3.15 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने ऐसी कोई चर्चा नहीं कीः

तालिका 3.15: सीपीएसईज जहाँ लेखापरीक्षा समितियों मे वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा आयोजित नहीं की थी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	चर्चा नहीं की गई
1	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बनस लिमिटेड	कोई पश्च लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की गई
2	स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	कोई पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की गई
3	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर	कोई पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा नहीं की गई

3.4 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

खण्ड 49(IV) में अनुबंध किया जाता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी जिसमे सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिएं तथा कम से कम आधे स्वतंत्र होगें। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तालिका 3.16 में यथावर्णित सीपीएसईज में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं थी।

तालिका 3.16: सीपीएसईज जहाँ पारिश्रमिक समिति नहीं हैं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान केब्लस लिमिटेड

6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
8	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
9	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

3.5 सहायक कम्पनियाँ

खण्ड 49(V) (डी) में विनिर्दिष्ट किया जाता है कि कम्पनी महत्त्वपूर्ण सहायक कम्पनियाँ निर्धारित करने के लिए एक नीति बनाएगी तथा यह नीति स्टॉक एक्सचेंज तथा वार्षिक रिपोर्ट में उदघाटित की जाएगी। एचएमटी लिमिटेड के संबंध में ऐसी कोई उदघोषणा नहीं की गई थी।

3.6 जोखिम प्रबन्धन समिति

खण्ड 49 (VI) में अनुबंध किया जाता है कि कम्पनी अपने निदेशक मंडल के माध्यम से जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन करेगी। तथापि, तालिका 3.17 में दी गई सीपीएसईज में अभी तक जोखिम प्रबन्धन समिति नहीं बनाई गई थीः

तालिका 3.17: सीपीएसईज जिनमें जोखिम प्रबन्धन समिति नहीं है

क्रम. सं.	एसीपीएसई का नाम
1	बामर लॉरी एण्ड क. लिमिटेड
2	कोल इण्डिया लिमिटेड
3	दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	एचएमटी लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैंन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

3.7 साचिविक लेखापरीक्षा

साचिविक लेखापरीक्षा (एसए) विधिक अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली का एक भाग है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) में अनुबंध किया जाता है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी बोर्ड की रिपोर्ट के साथ प्रक्रिया अनुसार एक कम्पनी सचिव द्वारा तैयार की गई एक साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगी। तथापि, भारत इम्यूनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड में कोई साचिविक लेखापरीक्षा नहीं थी।

3.8 निष्कर्ष

चयनित 49 सीपीएसईज में से, 16 सीपीएसईज में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था; 16 सीपीएसईज में स्वतंत्र विदेशकों की रिक्तियाँ भरने में तीन महीने से अधिक का विलम्ब देखा गया था; छह सीपीएसईज में बोर्ड में कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियॉ भरने में छह महीने से अधिक का विलम्ब देखा गया था; चार सीपीएसईज में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; पाँच सीपीएसईज में कोई चेतावनी तंत्र यथास्थान नहीं था; आठ सीपीएसईज में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई थी।

3.9 सिफारिश:

भारत सरकार दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर दबाव डाल सकती है ताकि सूचीबद्ध सीपीएसईज में निगमित शासन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।